हिमाचल प्रदेश धृति (चकबन्दी और खण्डकरण निवारण) अधिनियम, 1971

धाराओं का क्रम

अध्याय–1

धाराएँ:

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।
2. परिभाषाएं।

अध्याय–2

मानक क्षेत्रों का अवधारण और खण्डों का अभिक्रियान्वयन

3. अधिसूचित क्षेत्र का अवधारण ।
4. मानक व्यवस्थापन।
5. मानक क्षेत्र का अवधारण और पुनरीक्षण।
6. अधिकार अभिलेख में प्रविष्टि।
7. खण्डों का अन्तरण और पट्टा।
8. खण्डकरण प्रतिषिद्ध।
9. अधिनियम के उपबन्धों के प्रतिकूल अन्तरण या विभाजन के लिए शास्ति।
10. खण्डों का मूल्यांकन ।
11. खण्डों का अन्तरण ।
12. सरकार को राजस्व के संदाय के लिए निर्धारित संपदा का विभाजन या उसके हिस्से का पृथक्करण।
13. राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण ऐसी भूमि अर्जित नहीं करेगा जिससे खण्ड छूट जाएं।

अध्याय–3

नक्शों और अभिलेखों का पुनरीक्षण और संशोधन तथा धृतियों की चकबन्दी

14. चकबन्दी के सम्बन्ध में घोषणा।
15. घोषणा का प्रभाव।
16. धारा 14 के अधीन घोषणा का रद्दकरण।
17. अभिलेखों का पुनरीक्षण और संशोधन।
18. सही अभिलेखों का प्रकाशन।
19. अभिलेखों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में घोषणा।
20. प्लाटों और भू–धृति धारकों का विवरण तैयार करना।
21. विवरण पर आक्षेप।
22. चकबन्दी स्कीम।
23. प्रतिकर का उपबन्ध करने के लिए स्कीम।

24. अधिभोग अभिधृतियां।
25. स्कीम में संयुक्त भूमियों और संयुक्त अधिभोग अभिधृतियों के विभाजन का उपबन्ध करने की शक्ति।
26. सार्वजनिक सड़कों आदि का धृतियों की चकबन्दी स्कीम में समामेलन।
27. सामान्य प्रयोजनों के लिए आरक्षित भूमि।
28. प्रारुप स्कीम का प्रकाशन।
29. स्कीम का पुष्टिकरण।
30. पुनर्विभाजन।
31. अधिकार–अभिलेख तैयार करना।
32. नई धृतियों के कब्जे का अधिकार।
33. सामान्य प्रयोजनों के लिए भूमि के प्रबन्ध और नियंत्रण का पंचायत या राज्य सरकार में निहित होना।
34. ऐसी स्कीम का प्रवृत्त होना।
35. चकबन्दी के पश्चात् अधिकार।
36. भू–स्वामियों और अभिधारियों के विल्लंगम।
37. निष्क्रांत सम्पत्ति पर धृतियों की चकबन्दी का प्रभाव।
38. भू–स्वामियों के धृतियों में और अभिधारियों के अभिधृतियों में अधिकारों का अन्तरण।
39. भूमि के कब्जे की डिक्री का, पुनर्विभाजन पर आबंटित भूमि के विरुद्ध निष्पादित किया जाना।
40. खर्च।
41. इस अधिनियम के अधीन संदेय प्रतिकर या खर्च अथवा अन्य रकम की वसूली।
42. चकबन्दी कार्यवाहियों के दौरान सम्पत्ति का अन्तरण ।
43. चकबन्दी कार्यवाहियों के चालू रहने के दौरान विभाजन कार्यवाहियों का निलम्बन।
44. अन्तरण के लिए कोई लिखत आवश्यक नहीं।
45. विवाद की दशा में प्रतिकर या शुद्ध मूल्य का प्रभाजन।
46. स्कीम को परिवर्तित या प्रतिसंहृत करने की शक्ति।

अध्याय–4

चकबन्दी अधिकारियों की अन्य शक्तियां

47. सर्वेक्षण और सीमांकन प्रयोजन के लिए भूमि पर प्रवेश करने की अधिकारियों को शक्तियां।
48. सर्वेक्षण चिन्हों को नष्ट करने, क्षति पहुंचाने या हटाने के लिए शास्ति।
49. सर्वेक्षण चिन्हों को नष्ट करने, हटाने या क्षति पहुंचाने की रिपोर्ट।
50. कुछ मामलों में साक्षियों को हाजिर कराने की शक्ति और सिविल प्रक्रिया संहिता का लागू होना।

अध्याय–5

प्रकीर्ण

51. अधिकारी और प्राधिकारी।
52. शक्तियों का प्रत्यायोजन।
53. मध्यस्थ।
54. राज्य सरकार की कार्यवाहियों को मंगाने की शक्ति।
55. अपील और पुनरीक्षण।
56. लेखन गलतियों का सुधार।
57. इस अधिनियम के अधीन उद्भूत मामलों के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन।
58. इस अधिनियम के अधीन किए गए कार्यो के लिए लोक सेवक क्षतिपूरित।
59. नियम बनाने की शक्ति।
60. निरसन और व्यावृत्तियां।

हिमाचल प्रदेश धृति (चकबन्दी और खण्डकरण निवारण) अधिनियम, 1971

(1971 का 20)[1]

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 14 मई, 1996 को अधिप्रमाणित किया गया और राजपत्र (असाधारण), हिमाचल प्रदेश में तारीख 02 अगस्त, 1996 को पृष्ठ संख्या 3687 से 3701 पर प्रकाशित किया गया)

हिमाचल प्रदेश राज्य में कृषि धृतियों की चकबन्दी और कृषि धृतियों के खण्डकरण का निवारण करने और ग्राम के सामान्य प्रयोजनों के लिए भूमि के समनुदेशन या आरक्षण का उपबन्ध करने के लिए **अधिनियम**।

भारत गणराज्य ने बाईसबें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

अध्याय–1

प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ**.–(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश धृति (चकबन्दी और खण्डकरण निवारण) अधिनियम, 1971 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है।

(3) यह धारा तुरन्त प्रवृत्त होगी और अधिनियम के शेष उपबन्ध ऐसे क्षेत्रों में और उस तारीख से प्रवृत्त होंगे जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे और अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों को राज्य के विभिन्न भागों में प्रवृत्त करने के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

2. **परिभाषाएं**.– इस अधिनियम में, जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ में विरुद्ध न हो,–

(1) "सहायक चकबन्दी अधिकारी" से राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन सहायक चकबन्दी अधिकारी के कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त कोई अधिकारी प्रभिप्रेत है;

(2) "सामान्य प्रयोजन" से ग्राम की सामान्य आवश्यकता, सुविधा या लाभ के सम्बन्ध में कोई प्रयोजन अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित प्रयोजन भी हैं:–

(i) ग्राम आबादी का विस्तार;

————————

1. **पाद टिप्पणी**:– क्योंकि अधिनियम राजभाषा में 14 मई, 1996 को राज्यपाल महोदय द्वारा अधिप्रमाणित किया गया था इसलिए उद्‌देश्यों और कारणों का कथन इसमें उल्लिखित करना बांछनीय नहीं है इसे राजपत्र (असाधारण) हिमाचल प्रदेश में 02 अगस्त, 1996 को पृष्ठ संख्या 3687–3701 पर प्रकाशित किया गया।

(ii) ग्राम समुदाय के लाभ के लिए सम्बन्धित ग्राम पंचायत की आय की व्यवस्था करना;

(iii) ग्राम सड़कें और रास्ते, ग्राम नालियां, ग्राम कुएं, तालाब या कुण्ड, ग्राम जल मार्ग या ग्राम जल सरणी, बस अड्डा और प्रतीक्षा–स्थल, खाद के गड्डे, हाड़ा रोड़ी, सार्वजनिक शौचालय, श्मशान और कब्रिस्तान, पंचायत घर, जंज घर, चरागाह, प्रशिक्षण स्थल, मेला मैदान, धार्मिक या पूर्त स्वरूप के सार्वजनिक स्थान; और

(iv) विद्यालय और खेल के मैदान, औषधालय, चिकित्सालय और इसी प्रकार की संस्थाएं, जल–संकर्म या नल–कूप, चाहे ऐसे विद्यालय/खेल के मैदान, औषधालय, चिकित्सालय, संस्थाएँ, जल संकर्म या नल–कूप, सरकार द्वारा प्रबंधित या नियंत्रित हो या न हो;

(3) "चकबन्दी" से किसी क्षेत्र की सभी या किसी भूमि का उसके हकदार कई भूधृतिधारकों में ऐसे ढंग से पुनर्विभाजन अभिप्रेत है जिससे तत्समय ऐसे धारित क्षेत्र अधिक संहत हो;

(4) "चकबन्दी अधिकारी" से राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन चकबन्दी अधिकारी के कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए धारा 51 के अधीन नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है;

(5) "चकबन्दी निदेशक" से राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन चकबन्दी निदेशक के कर्त्तव्यों का पालन और कृत्यों का अनुपालन करने के लिए धारा 51 के अधीन नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है;

(6) "राजपत्र" से राजपत्र, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है;

(7) "भूमि" से ऐसी भूमि अभिप्रेत है जो नगर या ग्राम में किसी भवन के स्थल के रूप में अधिभोग में नहीं है और जो कृषि प्रयोजन के लिए या कृषि अनुसेवी प्रयोजनों के लिए अथवा चरागाह के लिए अधिभोग में है या पट्टे पर दी गई है और इसके अन्तर्गत हैं–

(क) ऐसी भूमि पर भवनों और अन्य संरचनाओं के स्थल;

(ख) फलोद्यान; और

(ग) घासनियां;

(8) "विधिक प्रतिनिधि" का वही अर्थ है जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में इसका है;

(9) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(10) "बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी)" से राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) के कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए धारा 51 के अधीन नियुक्त बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत, राज्य सरकार द्वारा

इस अधिनियम के अधीन बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) के सभी या किन्हीं कृत्यों का अनुपालन करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति भी है;

(11) "राज्य सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(12) "उप–खण्ड" से उन क्षेत्रों को, जो 1 नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश के भाग थे, यथालागू, हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का 6) के अधीन, तथा तैयार अधिकार अभिलेख में उप–खण्ड, पट्टी या तरफ के रूप में अभिलिखित संपदा का भाग अभिप्रेत है यह तब जबकि संहत खण्ड बनता हो, और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों "खण्ड" में से पंजाब लैण्ड रेवन्यु ऐक्ट, 1887 (1887 का 17) के अधीन तैयार किए गए अधिकार अभिलेख में उप–खण्ड, पट्टी, तरफ या पान्ना के रूप में अभिलिखित संपदा का भाग अभिप्रेत है यह तब जबकि इससे खण्ड बनता हो;

(13) "भू–धृति धारक" से सम्बन्धित भूमि का भू–स्वामी या अभिधारी अभिप्रेत है;

(14) "खण्ड" से इस अधिनियम के अधीन विनिश्चित समुचित मानक क्षेत्र से कम विस्तार का भूमि का प्लाट अभिप्रेत है:

परन्तु भूमि का कोई प्लाट, इसके क्षेत्र में बाढ़ से कमी आने के कारण, खण्ड नहीं समझा जाएगा;

(15) "अधिसूचित क्षेत्र" से धारा 3 के अधीन इस रूप में अधिसूचित क्षेत्र अभिप्रेत है;

(16) "स्वामी" से अनन्यसंक्रांत भूमि की दशा में विधिपूर्ण अधिभोगी अभिप्रेत है और जब ऐसी भूमि बंधकित की गई हो तो स्वामी बंधककर्ता अभिप्रेत है; अन्यसंक्रांत भूमि की दशा में स्वामी से उच्चतर धारक अभिप्रेत है;

(17) भूमि के किसी वर्ग के सम्बन्ध में "मानक क्षेत्र" से वह क्षेत्र अभिप्रेत है जो राज्य सरकार समय–समय पर धारा 3 के अधीन किसी विशिष्ट अधिसूचित क्षेत्र में लाभदायक खेती के लिए आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र के रूप में निश्चित करे और इसके अन्तर्गत उक्त धारा के अधीन पुनरीक्षित मानक क्षेत्र भी है; और

(18) उन शब्दों और पदों के–

(क) जो इस अधिनियम में परिभाषित नहीं है, किन्तु हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का 6) में परिभाषित हैं, या

(ख) इस अधिनियम में या हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1954 में परिभाषित नहीं है, किन्तु हिमाचल प्रदेश टेनैन्सी ऐन्ड लैण्ड रिफार्मज ऐक्ट, 1972 (1974 का 8) में परिभाषित है;

वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में उनके हैं जिसमें वे परिभाषित हैं।

अध्याय–2

मानक क्षेत्रों का अवधारण और खण्डों का अभिक्रियान्वयन

3. **अधिसूचित क्षेत्र का अवधारण.**–राज्य सरकार, ऐसी जांच के पश्चात् जैसी यह उचित समझे किसी संपदा या संपदा के उप–खण्ड को इस अधिनियम के इस अध्याय के प्रयोजन के लिए अधिसूचित क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

4 **मानक व्यवस्थापन.**–(1) राज्य सरकार, ऐसी जांच के पश्चात् जैसी वह उचित समझे, किसी अधिसूचित क्षेत्र में भूमि के किसी वर्ग के लिए अनन्तिम रूप से न्यूनतम क्षेत्र व्यवस्थापित कर सकेगी, जिस पर पृथक् प्लाट के रूप में लाभदायक तौर पर खेती की जा सकेगी।

(2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा और ऐसी अन्य रीति से जैसी विहित की जाए, इस द्वारा उप–धारा (1) के अधीन अनन्तिम रूप में व्यवस्थापित न्यूनतम क्षेत्र को प्रकाशित करेगी और उस पर आक्षेप आमंत्रित करेगी।

5. **मानक क्षेत्र का अवधारण और पुनरीक्षण.**–(1) राज्य सरकार, सम्बन्धित संपदा में धारा 4 की उप–धारा (2) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन मास के भीतर प्राप्त आक्षेपों, यदि कोई हों, पर विचार करने और ऐसी अतिरिक्त जांच के पश्चात्, जैसी यह उचित समझे, ऐसे अधिसूचित क्षेत्र में भूमि के ऐसे वर्ग के लिए मानक क्षेत्र का अवधारण करेगी।

(2) राज्य सरकार, किसी भी समय, यदि यह ऐसा करना समीचीन समझे, उप–धारा (1) के अधीन अवधारित मानक क्षेत्र का पुनरीक्षण कर सकेगी। ऐसा पुनरीक्षण धारा 4 और धारा 5 की उप–धारा (1) के अधीन अधिकथित रीति में किया जाएगा।

(3) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा और ऐसी अन्य रीति में जैसी विहित की जाए, उप–धारा (1) के अधीन अवधारित या उप–धारा (2) के अधीन पुनरीक्षित मानक क्षेत्र का सार्वजनिक नोटिस देगी।

6. **अधिकार अभिलेख में प्रविष्टि.**–(1) स्थानीय क्षेत्र के लिए धारा 5 की उप–धारा (3) के अधीन मानक क्षेत्र की अधिसूचना पर, स्थानीय क्षेत्र के सभी खण्डों की, अधिकार अभिलेख में ऐसे रूप में प्रविष्टि की जाएगी।

(2) उपधारा (2) के अधीन की गई प्रत्येक प्रविष्टि का नोटिस विहित रीति में दिया जाएगा।

7. **खण्डों का अन्तरण और पट्टा.**–(1) कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे खण्ड का जिसके सम्बन्ध में धारा 6 की उप–धारा (2) के अधीन नोटिस दिया गया है, अन्तरण नहीं करेगा, जब तक कि खण्ड तद्द्वारा, समीपस्थ सर्वेक्षण संख्यांक में या सर्वेक्षण संख्यांक के मान्यताप्राप्त उप–खण्ड में विलीन नहीं हो जाता है।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, ऐसा कोई खण्ड, उस व्यक्ति, जो खण्ड के समीपस्थ किसी भूमि पर खेती करता हो, से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति को, पटटे पर नहीं दिया जाएगा।

8. **खण्डकरण प्रतिषिद्ध.**– किसी अधिसूचित क्षेत्र में किसी भूमि का इस प्रकार अन्तरण या विभाजन नहीं किया जाएगा, जिससे खण्ड का सृजन हो।

9. **अधिनियम के उपबन्धों के प्रतिकूल अन्तरण या विभाजन के लिए शास्ति.**–इस अधिनियम के उपबन्धों के विरुद्ध किसी भूमि का अन्तरण या विभाजन शून्य होगा।

10. **खण्डों का मूल्यांकन.**–खण्ड का कोई स्वामी जो इसे बेचना चाहता हो, इस निमित्त कलक्टर को, इसकी बाजारी कीमत के अवधारण के लिए आवेदन करेगा और कलक्टर, आवेदक और समीपस्थ सर्वेक्षण संख्यांक या सर्वेक्षण संख्यांक की मान्यता प्राप्त उप–खण्डों को स्वामियों की सुनवाई के पश्चात् बाजारी कीमत का अवधारण करेगा और ऐसा अवधारण इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए अन्तिम और निश्चायक होगा।

11. **खण्डों का अन्तरण.**–पूर्ववर्ती धारा में निर्दिष्ट स्वामी, प्रथमतः समीपस्थ सर्वेक्षण संख्यांकों या सर्वेक्षण संख्यांकों के मान्यता प्राप्त उप–खण्डों के स्वामियों को, खण्ड के विक्रय के लिए प्रस्थापना करेगा और उनके ठीक पूर्वगामी धारा के अधीन अवधारित कीमत पर क्रय करने से इन्कार करने की दशा में, राज्य के प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार द्वारा उसमें हित रखने वाले व्यक्तियों को, जैसे कलक्टर अवधारित करे, यथा पूर्वोक्त कीमत के संदाय पर राज्य सरकार को अन्तरित कर सकेगा और तदुपरि खण्ड सभी विल्लंगमों से रहित राज्य के प्रयोजन के लिए, आत्यंतिक रूप से राज्य सरकार में निहित हो जाएगा।

12. **सरकार को राजस्व के संदाय के लिए निर्धारित सम्पदा का विभाजन या उसके हिस्से का पृथक्करण.**–जब किसी अधिसूचित क्षेत्र में, जिसके लिए मानक क्षेत्र नियत किया गया है, राज्य सरकार को राजस्व के संदाय के लिए निर्धारित अविभक्त संपदा के विभाजन या ऐसी संपदा के भाग के पृथक कब्जे के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 54 के अधीन कोई डिक्री कलक्टर को अन्तरित की जाए तो, ऐसा कोई विभाजन या पृथक्करण नहीं किया जाएगा जिससे खण्ड का सृजन हो।

13 **राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण ऐसी भूमि अर्जित नहीं करेगा जिससे खण्ड छूट जाएं.**–(1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा कोई भूमि ऐसे अर्जित या किसी न्यायालय के आदेशों के अधीन किए गए विक्रय में बेची नहीं जाएगी जिससे खण्ड रह जाएं।

(2) यदि राज्य सरकार या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अर्जित भूमि, इसकी अपेक्षाओं के आधिक्य में हैं तो, इसके विक्रय की प्रस्थापना, उसी कीमत पर जिस पर यह उप–धारा (1) के अधीन अर्जित को गई थी, प्रथमतः समीपस्थ सर्वेक्षण संख्यांक या सर्वेक्षण संख्यांक के मान्यता प्राप्त उप–खण्डों के स्वामियों को की जाए।

अध्याय–3

नक्शों और अभिलेखों का पुनरीक्षण और संशोधन तथा धृतियों की चकबन्दी

14. **चकबन्दी के सम्बन्ध में घोषणा.**–(1) साधारण जनता के हित में और भूमि की बेहतर खेती के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार यह घोषणा कर सकेगी कि इसने, किसी संपदा या संपदाओं के समूह अथवा किसी सम्पदा के उप–खण्डों के लिए, चकबन्दी की स्कीम बनाने का विनिश्चिय किया है।

(2) ऐसी प्रत्येक घोषणा राजपत्र में और सम्बन्धित संपदा या संपदाओं में विहित रीति में प्रकाशित की जाएगी।

15. **घोषणा का प्रभाव.**–(1) धारा 14 के अधीन घोषणा के प्रकाशन पर, यथास्थिति, संपदा, संपदाओं का समूह या संपदा का उप–खण्ड ऐसे प्रकाशन की तारीख से तब तक चकबन्दी क्रिया के अधीन समझा जाएगा जब तक कि चकबन्दी क्रिया बन्द किए जाने की अधिसूचना प्रकाशित नहीं की जाती है।

(2) जहां कोई संपदा संपदाओं का समूह या किसी संपदा का उप–भाग चकबन्दी क्रिया के अधीन है, वहां उन क्षेत्रों में जो 1 नवम्बर, 1966 से ठीक पहले हिमाचल प्रदेश का भाग थे, यथा लागू हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का 6) और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा लागू पंजाब लैण्ड रेवन्यु ऐक्ट, 1887 (1887 का 17) और तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन नक्शे, फील्डबुक रखने और वार्षिक अभिलेख तैयार करने का कर्त्तव्य, बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) को अन्तरित हो जाएगा और तदुपरि उक्त अधिनियमों और नियमों के अधीन कलक्टर और सहायक कलक्टर को प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग, जब तक संपदा, संपदाओं का समूह या संपदा का उप–खण्ड चकबन्दी क्रिया के अधीन रहता है, निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा किया जाएगा:–

1. निदेशक, धृति चकबन्दी।
2. बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी)।

3. चकबन्दी अधिकारी।
4. सहायक चकबन्दी अधिकारी।

(3) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उप–धारा (2) में उल्लिखित किन्हीं अधिकारियों को कलक्टर की शक्तियों, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का 6) या पंजाब लैण्ड रेवन्यु ऐक्ट, 1887 (1887 का 17) के अधीन सहायक कलक्टर को निहित की जाने वाली सभी या किन्हीं शक्तियों को प्रदत्त कर सकेगी।

16. **धारा 14 के अधीन घोषणा का रद्दकरण.**–(1) राज्य सरकार, किसी भी समय धारा 14 के अधीन की गई घोषणा को उसमें विनिर्दिष्ट क्षेत्र के सम्बन्ध में पूर्णतः या भागतः रद्द कर सकेगी।

(2) जहां किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में उप–धारा (1) के अधीन घोषणा रद्द की जाती है वहां ऐसा क्षेत्र रद्दकरण की तारीख से, चकबन्दी क्रिया के अधीन नहीं रहेगा।

17. **अभिलेखों का पुनरीक्षण और संशोधन.**–(1) जहां ग्राम के नक्शे, फील्डबुक और अधिकार अभिलेख के परीक्षण पर चकबन्दी अधिकारी या सहायक चकबन्दी अधिकारी की यह राय हो कि अनन्तिम समेकन स्कीम पर अगली कार्यवाही करने से पूर्व नक्शों या अभिलेखों का पुनरीक्षण आवश्यक है, वहां वह तद्नुसार राज्य सरकार को सिफारिश करेगा।

(2) जहां, उसकी यह राय हो कि नक्शों और अभिलेखों का पुनरीक्षण आवश्यक नहीं है, वहां वह विहित रीति में ग्राम के नक्शे और फील्डबुक की सहायता से खेत–खेत की पड़ताल की कार्यवाही करेगा और, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का 6) या पंजाब रेवन्यु ऐक्ट, 1887 (1887 का 17) और तद्धीन विरचित नियमों के अनुसार राजस्व अभिलेखों की प्रविष्टियां सही करेगा।

18. **सही अभिलेखाओं का प्रकाशन.**–धारा 17 की उप–धारा (2) के अधीन तैयार या संशोधित अभिलेख ग्राम में विहित रीति में प्रकाशित किए जाएंगे और एक प्रति कलक्टर को भेजी जाएगी।

19. **अभिलेखाओं के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में घोषणा.**–धारा 17 की उप–धारा (1) के अधीन सिफारिशों की प्राप्ति पर राज्य सरकार, उस प्रभाव को अधिसूचना प्रकाशित करेगी और तदुपरि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का 6) या पंजाब रेवन्यु ऐक्ट, 1887 (1887 का 17) और तदधीन विरचित नियमों के उपबन्धों के अनुसार ग्राम या ग्रामों के लिए पुनरीक्षित नक्शा और फील्डबुक तथा अधिकार अभिलेख तैयार करेगी।

20. **प्लाटों और भू–धृतिधारकों का विवरण तैयार करना.**–(1) सहायक चकबन्दी अधिकारी, धारा 18 के अधीन अभिलेखाओं के प्रकाशन या धारा 19 के अधीन अभिलेख तैयार किए जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र, निम्नलिखित तैयार करेगा–

(क) निम्नलिखित दर्शाते हुए, प्रत्येक भू–धृतिधारक को धृतियों में समाविष्ट सभी प्लाटों की सूची–

(i) प्रत्येक प्लाट का क्षेत्र;
(ii) अन्तिम बन्दोबस्त के अनुसार प्लाटों की मृदा (मिट्‌टी) का वर्ग;
(iii) अन्तिम बन्दोबस्त या पुनरीक्षण क्रिया जो सबसे अन्तिम हो, में मृदा के वर्ग के लिए मंजूर आनुवंशिक भाटक दर;
(iv) प्लाट का भाटक मूल्य;
(v) प्लाट का विहित रीति में संगणित, यथास्थिति, राजस्व या भाटक;
(vi) ऐसी अन्य विशिष्टियां जो विहित की जाएं।

(ख) निम्नलिखित दर्शाते हुए प्रत्येक भू–धृतिधारक की सूची–
(i) भू–धृतिधारक द्वारा, भू–धृतियों के सभी वर्गों में धारित कुल क्षेत्र;
(ii) उसके हिस्से का, यथास्थिति, राजस्व या भाटक;
(iii) भू–धृतिधारक द्वारा धारित क्षेत्र का भाटक मूल्य; और
(iv) ऐसी अन्य विशिष्टियां जो विहित को जाएं।

(2) विवरण का प्रकाशन ग्राम में विहित रीति में किया जाएगा।

21. **विवरण पर आक्षेप.**–(1) कोई भी व्यक्ति, धारा 20 के अधीन तैयार किए गए विवरण के प्रकाशन से तीस दिन के भीतर सहायक चकबन्दी अधिकारी के समक्ष, विवरण की किसी प्रविष्टि की शुद्धता या प्रकृति के बारे में विवाद करते हुए या उसमें से किसी लोप को बताते हुए आक्षेप दायर कर सकेगा।

(2) सहायक चकबन्दी अधिकारी उप–धारा (1) के अधीन दायर आक्षेपों को, पक्षकारों को सुनने के पश्चात्, यदि आवश्यक हो, चकबन्दी अधिकारी को उन आक्षेपों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जो उप–धारा (4) में उपबन्धित के सिवाय विहित रीति में निपटारा करेगा।

(3) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उपबन्धित के सिवाय चकबन्दी अधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(4) जहां उपधारा (1) के अधीन दायर आक्षेप में हक का प्रश्न अन्तर्वलित हो और ऐसे प्रश्न का पहले ही सक्षम न्यायालय द्वारा अवधारण न किया गया हो, वहां चकबन्दी अधिकारी प्रश्न को अवधारण के लिए, मध्यस्थ को निर्देशित करेगा जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

22. **चकबन्दी स्कीम.**—(1) चकबन्दी अधिकारी, धारा 20 की उपधारा (2) के अधीन विवरण के प्रकाशन और धारा 21 के अधीन आक्षेपों पर, यदी कोई हो, विनिश्चय के पश्चात्, यथास्थिति, ऐसी संपदा या संपदाओं के स्वामियों और अभिधारियों की विहित रीति में सलाह अभिप्राप्त करेगा और तत्पश्चात्, यथास्थिति, ऐसी संपदा या संपदाओं या उनके भाग में धृतियों की चकबन्दी के लिए स्कीम तैयार करेगा।

(2) उप–धारा (1) के अधीन स्कीम बनाते समय, चकबन्दी अधिकारी निम्नलिखित सिद्धान्तों को ध्यान में रखेगा, अर्थातः—

(क) प्रत्येक ग्राम में भूमि निम्नलिखित ब्लाकों के अधीन विभक्त या समूहित की जा सकेगी, अर्थात्ः—

(i) भूमि का ब्लाक जहां केवल चावल की उपज होती हो;

(ii) भूमि का ब्लाक जहां चावलों से भिन्न मुख्यतः इकफसली फसल की उपज होती है;

(iii) भूमि का ब्लाक जो मुख्यतः दो फसली है;

(iv) भूमि का ब्लाक जो नदी क्रिया के अध्यधीन है; और

(v) चकबन्दी के प्रयोजन के लिए भूमि का वर्गीकरण और मूल्यांकन और एक वर्ग के दूसरे में संपरिवर्तन के लिए विनिमय अनुपात;

(ख) प्रत्येक भू–धृतिधारक को, यथासम्भव भूमि के उस ब्लाक में भूमि आबंटित की जाए जिसमें उसकी धृति का सबसे अधिक भाग है;

(ग) किसी विशेष ब्लाक में भूमि केवल उन भू–धृतिधारकों को ही प्राप्त होगी जो वहां पहले से ही भूमि धारण करते हैं;

(घ) आबादी के लिए चिन्हित क्षेत्रों को, अपवर्जित करके प्रत्येक भूधृतिधारक को आबंटित किए जाने वाले चकों की संख्या, ब्लाकों की संख्या से अधिक नहीं होगी, जब तक कि एक ही ब्लाक और भूमि लगभग एकसी क्वालिटी की न हो;

(ड.) प्लाटों को संख्या, चकबन्दी प्रक्रिया से पहले भू–स्वामी या अभिधारी द्वारा धारित प्लाटों की संख्या से अधिक नहीं होगी; और

(च) ऐसे अन्य सिद्धांत जो विहित किए जाएं।

23. **प्रतिकर का उपबन्ध करने के लिए स्कीम.**—(1) चकबन्दी अधिकारी द्वारा तैयार की गई स्कीम में, उस व्यक्ति को जिसको उसकी मूल धृति के बाजारी मूल्य से कम मूल्य की धृति आबंटित की जाए, प्रतिकर के संदाय का और उस व्यक्ति से जिसको उसकी मूल धृति के बाजारी मूल्य से अधिक की धृति आबंटित की जाए, प्रतिकर की वसूली का उपबन्ध किया जाएगा।

(2) प्रतिकर की राशि का, चकबन्दी अधिकारी द्वारा, यथासाध्य, भू–अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) की धारा 23 की उप–धारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, निर्धारण किया जाएगा।

24. **अधिभोग अभिधृतियां.**–(1) चकबन्दी अधिकारी द्वारा तैयार की गई स्कीम में, अधिभोग भू–धृति के अधीन धारित भूमि का अधिभोग का अधिकार रखने वाले अभिधारियों और उनके भू–स्वामियों के बीच ऐसे अनुपात में वितरण का उपबन्ध किया जा सकेगा जैसा पक्षकारों में करार पाया जाए।

(2) जब धारा 29 के अधीन स्कीम की पुष्टि हो जाए तो अधिभोग अधिकारी और भू–स्वामी को इस प्रकार आबंटित भूमि, हिमाचल प्रदेश राज्य के किसी भाग में तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, क्रमशः उनमें से प्रत्येक द्वारा स्वामित्व के पूर्ण अधिकार से धारण की जाएगी और भू–स्वामी को आबंटित की गई भूमि में अधिभोग का अधिकार निर्वापित समझा जाएगा।

25. **स्कीम में संयुक्त भूमियों और संयुक्त अधिभोग अभिधृतियों के विभाजन का उपबन्ध करने की शक्ति.**–(1) उन क्षेत्रों में जो प्रथम नवम्बर, 1966 से पूर्व हिमाचल प्रदेश का भाग थे, यथा लागू हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का 6) के अध्याय IX में सिवाय धारा 129 के, और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा लागू पंजाब लैण्ड रेवन्यु ऐक्ट, 1887 (1887 का 17) के अध्याय IV में, सिवाय उसकी धारा 117 के, किसी बात के होते हुए भी, चकबन्दी अधिकारों द्वारा तैयार की गई स्कीम में भूमि के संयुक्त स्वामियों या ऐसी अभिधृति के संयुक्त अभिधारियों के बीच जिसमें, यथास्थिति, भूमि या अभिधृति में प्रत्येक स्वामी या अभिधारी के हिस्से के अनुसार अधिभोग का अधिकार अस्तित्व में है, भूमि के वितरण का उपबन्ध किया जा सकेगा, यदि–

(क) ऐसा हिस्सा उपरोक्त अधिनियमों में से किसी के अध्याय IV के अधीन अभिलिखित है, या

(ख) ऐसे स्वामी या अभिधारी का ऐसे हिस्से पर अधिकार डिक्री द्वारा स्थापित किया गया है जो कि स्कीम के तैयार किए जाने के समय तक अस्तित्व में है, या

(ग) उसकी स्वीकृति या प्रत्याख्यान में हितबद्ध सभी व्यक्तियों द्वारा ऐसे अधिकार की लिखित अभिस्वीकृति निष्पादित की गई है।

(2) जब धारा 29 के अधीन स्कीम की पुष्टि हो जाएगी तो इस प्रकार विभाजित भूमि, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, प्रत्येक ऐसे स्वामी या

अभिधारी द्वारा, यथास्थिति, स्वामित्व या अभिधृति के पूर्ण अधिकार से धारण की जाएगी और भूमि में अन्य संयुक्त स्वामियों या संयुक्त अभिधारियों के अधिकार निर्वापित समझे जाएंगे।

26. **सार्वजनिक सड़कों आदि का धृतियों की चकबन्दी स्कीम में समामेलन.**— (1) जब—जब धृतियों की चकबन्दी के लिए स्कीम तैयार करते समय चकबन्दी अधिकारी को यह प्रतीत हो कि स्कीम में किसी सड़क, मार्ग, गली, जलसरणी, पथ, नाली, जलाशय, चरागाह या सामान्य प्रयोजन के लिए आरक्षित किसी अन्य भूमि का किसी धृति में समामेलन किया जाना आवश्यक है तो, वह उस प्रभाव की घोषणा, ऐसी घोषणा में यह कथन करते हुए, करेगा कि यह प्रस्तावित है कि उक्त सड़क, मार्ग, के लिए गली, जल—सरणी, पथ, नाली, जलाशय, चरागाह या अन्य प्रयोजन के लिए आरक्षित किसी अन्य भूमि में या पर जनता और व्यक्तियों के भी अधिकार निर्वापित किए जाएंगे या, यथास्थिति, नई सड़क, मार्ग, गली, जलसरणी, पथ, नाली, जलाशय, चरागाह या चकबन्दी की स्कीमों में अधिकथित सामान्य प्रयोजनों के लिए आरक्षित अन्य भूमि में अन्तरित किए जा सकेंगे।

(2) उप—धारा (1) में धोषणा, धारा 28 में निर्दिष्ट प्ररूप स्कीम सहित, विहित रीति में सम्बन्धित संपदा में प्रकाशित की जाएगी।

(3) उक्त सड़क, मार्ग, गली, जलसरणी, पथ, नाली, जलाशय, चरागाह या सामान्य प्रयोजन के लिए आरक्षित अन्य भूमि में या पर लोक राजमार्ग के अधिकार के अतिरिक्त कोई हित या अधिकार अथवा कोई अन्य हित या अधिकार, जिस पर प्रस्ताव से प्रतिकूल प्रभाव पड़ना सम्भाव्य है, रखने वाला जनता का कोई सदस्य या कोई व्यक्ति उप धारा (1) के अधीन घोषणा के प्रकाशन से तीस दिन के भीतर, चकबन्दी अधिकारी को लिखित रूप में, प्रस्ताव के विरुद्ध अपने आक्षेप ऐसे हित या अधिकार के स्वरूप और रीति जिसमें उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना सम्भाव्य है और ऐसे हित या अधिकार के लिए प्रतिकर के उसके दावे की राशि और विशिष्टियों का विवरण दे सकेगाः

परन्तु ऐसी सड़क, मार्ग, गली, जलसरणी, पथ, नाली, जलाशय, चरागाह या सामान्य प्रयोजनों के लिए आरक्षित अन्य भूमि पर लोक राजमार्ग के अधिकार के निर्वापन या कमी के कारण प्रतिकर के लिए दावा ग्रहण नहीं किया जाएगा।

(4) चकबन्दी अधिकारी प्रस्ताव के विरुद्ध किए गए आक्षेपों पर, यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात् इसे प्राप्त आक्षेपों के साथ—साथ ऐसे संशोधनों सहित, यदि कोई हों, जैसे वह आवश्यक समझे, उन पर अपनी सिफारिशों और प्रतिकर की राशि, यदि कोई हो, जो उस की राय में संदेय है और उन व्यक्तियों के जिन द्वारा और जिनको ऐसा प्रतिकर संदेय हो विवरण के साथ बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) को प्रस्तुत करेगा। प्रस्ताव पर और प्रतिकर की राशि के तथा व्यक्तियों के बारे में जिन के द्वारा ऐसा प्रतिकर, यदि कोई हो, संदेय है बन्दोबस्त अधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा ।

27. **सामान्य प्रयोजनों के लिए आरक्षित भूमि.**—तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, चकबन्दी अधिकारी के लिए निम्नलिखित विधि पूर्ण होगा—

(क) यह निदेश देना कि सामान्य प्रयोजन के लिए कोई भूमि विनिर्दिष्टतः नियत कोई भूमि इस प्रकार नियत नहीं रहेगी और इसके स्थान पर कोई अन्य भूमि नियत करना,

(ख) यह निदेश देना कि राज्य में बहने वाली किसी नदी या जलधारा के तल के अधीन की कोई भूमि, किसी सामान्य प्रयोजन के लिए नियत की जाएगी; और

(ग) यदि चकबन्दी के अधीन किसी क्षेत्र में किसी सामान्य प्रयोजन के लिए, जिसके अन्तर्गत ग्राम की आबादी का विस्तार भी है, कोई भूमि आरक्षित नहीं है या इस प्रकार आरक्षित भूमि अपर्याप्त है, ऐसे प्रयोजन के लिए अन्य भूमि नियत करना।

28. **प्रारूप स्कीम का प्रकाशन.**—(1) जब चकबन्दी की प्रारूप स्कीम प्रकाशन के लिए तैयार हो जाए तो चकबन्दी प्रधिकारी इसे विहित रीति में सम्बन्धित संपदा या संपदाओं में प्रकाशित करेगा। ऐसी स्कीम से सम्भाव्यतः प्रभावित होने वाला कोई व्यक्ति या अधिनियम के अधीन विरचित नियमों के अनुसार नियुक्त समिति ऐसे प्रकाशन से 30 दिन के भीतर, स्कीम से सम्बन्धित आक्षेप, यदि कोई हों, चकबन्दी अधिकारी को लिखित रूप में संसूचित करेगा/करेगी। चकबन्दी अधिकारी आक्षपों पर विचार करने के पश्चात, यदि कोई प्राप्त हुए हों, स्कीम को, आक्षेपों पर अपनी टिप्पणियों के साथ—साथ, ऐसे संशोधनों सहित, जैसा वह आवश्यक समझे बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) को प्रस्तुत करेगा।

(2) चकबन्दी अधिकारी उस द्वारा यथा संशोधित स्कीम को भी विहित रीति में प्रकाशित करेगा ।

29. **स्कीम का पुष्टिकरण.**—(1) यदि, यथास्थिति, धारा 28 की उप—धारा (1) के अधीन या धारा 28 की उपधारा (2) के अधीन प्रकाशित संशोधित प्रारूप स्कीम के प्रकाशन के तीस दिन के भीतर, कोई आक्षेप प्राप्त नहीं होते हैं तो, बन्दोवस्त अधिकारी (चकबन्दी) चकबन्दी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई स्कीम की पुष्टि करेगा।

(2) यदि धारा 28 की उपधारा (2) के अधीन प्रकाशित संशोधन प्रारूप स्कीम के विरुद्ध प्राक्षेप प्राप्त होते हैं तो, बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) आक्षपों पर विचार करने के पश्चात् स्कीम की या तो परिर्वतन सहित या रहित पुष्टि करेगा या पुष्टि करने से इन्कार करेगा। ऐसे इन्कार किए जाने की दशा में बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) प्रारूप स्कीम को ऐसे निदेशों के साथ जैसे आवश्यक हों, चकबन्दी अधिकारी को पुनः प्रस्तुत करने के लिए वापस करेगा।

(3) उप—धारा (1) या (2) के अधीन स्कीम की पुष्टि पर, यथापुष्ट स्कीम सम्बन्धित संपदा या संपदाओं में विहित रीति में प्रकाशित की जाएगी ।

30. **पुनर्विभाजन.**—चकबन्दी अधिकारी सम्बन्धित संपदा या संपदाओं के भू–स्वामियों और अभिधारियों से परामर्श के पश्चात्, धारा 29 के अधीन पुष्ट चकबन्दी स्कीम के अनुसार पुनर्विभाजन कार्यान्वित करेगा और धृतियों की यथा सीमांकित सीमाएं शजरे पर दर्शाई जाएंगी जिसे विहित रीति में सम्बन्धित संपदा या संपदाओं में प्रकाशित किया जाएगा ।

(2) पुनर्विभाजन से व्यथित कोई व्यक्ति प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर चकबन्दी अधिकारी के समक्ष लिखित आक्षेप दायर कर सकेगा जो आक्षेपकर्ता को सुनने के पश्चात् पुनर्विभाजन को पुष्ट या परिवर्तित करते हुए ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा वह आवश्यक समझे।

(3) उप–धारा (2) के सधीन चकबन्दी अधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उस आदेश से एक मास के भीतर बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) के समक्ष अपील दायर कर सकेगा जो अपीलार्थी को सुनने के पश्चात् ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा वह उचित समझे।

(4) उप–धारा (3) के अधीन बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उस आदेश से साठ दिन के भीतर निदेशक चकबन्दी को अपील कर सकेगा। ऐसी अपील पर, निदेशक चकबन्दी का आदेश और केवल ऐसे आदेश के अधीन रहते हुए, धारा (3) के अधीन बन्दोवस्त अधिकारी (चकबन्दी) का आदेश या, यदि उप–धारा (2) के अधीन चकबन्दी अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील न की गई हो, तो चकबन्दी अधिकारी का ऐसा आदेश, अन्तिम होगा और किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत किए जाने के दायित्व के अधीन नहीं होगा।

31. **अधिकार अभिलेख तैयार करना.**—(1) चकबन्दी अधिकारी, यथास्थिति, उन क्षेत्रों में जो प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचत प्रदेश का भाग थे, यथा लागू हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का 6) के अध्याय 4 या पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा लागू पंजाब लैण्ड रेवन्यु ऐक्ट, 1887 (1887 का 17) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार जहां तक ये उपबन्ध चकबन्दी के अधीन क्षेत्रों में लागू हैं, पुनर्विभाजन और पूर्ववर्ती धारा के अधीन उसके सम्बन्ध में किए गए आदेशों को प्रभावी बनाते हुए, नए अधिकार–अभिलेख तैयार करवाएगा।

(2) ऐसे अधिकार–अभिलेख, यथास्थिति, उन क्षेत्रों को, जो प्रथम नबम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश का भाग थे, यथा लागू हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का 6) की धारा 35 या पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों को यथा लागू पंजाब लैण्ड रेवन्यु ऐक्ट, 1887 (1887 का 17) की धारा 35 के अधीन तैयार किए गए समझे जाएंगे।

32. **नई धृतियों के कब्जे का अधिकार.**—(1) यदि, यथास्थिति, चकबन्दी या स्कीम या अन्तिम रूप से यथापुष्ट पुनर्विभाजन से प्रभावित सभी स्वामी और अभिधारी, तद्धीन उन्हें आबंटित भूमि का कब्जा लेने के लिए सहमत हो जाते हैं तो, चकबन्दी अधिकारी तत्क्षण से या ऐसी तारीख से जो उस द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, उन्हें ऐसे कब्जा करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(2) यदि यथा पुर्वोक्त सभी स्वामी और अभिधारी उप–धारा (1) के अधीन कब्जा करने के लिए सहमत नहीं होते है तो, वे, यथास्थिति, धारा 29 की उप–धारा (3) के अधीन स्कीम के प्रकाशन, या धारा 31 की उप–धारा (1) के अधीन नए अधिकार अभिलेख तैयार किए जाने की तारीख से ठीक आगामी कृषि वर्ष के प्रारम्भ से, उन्हें आबंटित धृतियों और अभिधृतियों के कब्जे के हकदार होंगे और चकबन्दी अधिकारी, यदि आवश्यक हो तो, उन्हें उन धृतियों का वस्तुगत कब्जा देगा, जिनके लिए वे इस प्रकार हकदार हैं और, ऐसा करते समय वह, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का 6) या पंजाव लैण्ड ऐक्ट, 1887 (1887 का 17) के अधीन राजस्व अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग कर सकेगाः

परन्तु यदि धृति पर फसल खड़ी हो तो धृति का वस्तुगत कब्जा उपरोक्त खड़ी फसल की कटाई के पश्चात् ही परिदत्त किया जाएगा।

(3) यदि कोई व्यक्ति जिससे स्कीम के अधीन प्रतिकर वसूलीय है, उप–धारा (2) में निर्दिष्ट कृषि वर्ष के प्रारम्भ से 15 दिन के भीतर ऐसा प्रतिकर विहित रीति में जमा करवाने में असफल रहता है, तो यह उससे भू–राजस्व की बकाया के रूप में बसूलीय होगा और ऐसी दशा में खर्चे की कटौती के पश्चात् वसूलीय रकम धृति में हित रखने वाले व्यक्ति को संदत्त की जाएगी।

33. **सामान्य प्रयोजनों के लिए भूमि के प्रबन्ध और नियन्त्रण का पंचायत या राज्य सरकार में निहित होना.**—जैसे ही स्कीम प्रवृत्त होती है, धारा 27 के अधीन ग्राम के प्रयोजनों के लिए समनुदेशित या आरक्षित सभी भूमियों का प्रबन्ध और नियंत्रण,—

(क) धारा 2 के खण्ड (2) में विनिर्दिष्ट सामान्य प्रयोजनों की दशा में, जिसके बारे में प्रबन्धन और नियंत्रण राज्य सरकार द्वारा प्रयोग किया जाना है, राज्य सरकार में निहित होगा; और

(ख) किसी अन्य सामान्य प्रयोजन की दशा में उस ग्राम की पंचायत में निहित होगा; और, यथास्थिति राज्य सरकार या पंचायत उससे प्रोद्भूत होने वाली आय को ग्रामीण समुदाय के लाभ के लिए विनियोजित करने की हकदार होगी और ऐसी भूमि के स्वामियों के अधिकार और हित तद्नुसार उपान्तरित और निर्वापित हो जाएंगे;

परन्तु ग्राम आबादी या खाद के गढ्ढों के विस्तार के लिए स्वत्वधारियों या अस्वत्वधारियों के लिए समनुदेशित या आरक्षित भूमि की दशा में, ऐसी भूमि न स्वत्वधारियों में निहित होगी, जिन्हें वह चकबन्दी की स्कीम के अधीन उन्हें दी गई है।

34. **ऐसी स्कीम का प्रवृत्त होना.**—इस अधिनियम के अधीन धृतियों के कब्जे के लिए, हकदार व्यक्ति द्वारा क्रमशः उन्हें आबंटित धृतियों का कब्जा कर लेने पर, यथाशीघ्र स्कीम प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

35. धारा 24 और 25 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए और उस तारीख से जिसको भू–धृतिधारक द्वारा धारा 32 के उपबन्धों के अनुसरण में उसे आबंटित प्लाट का कब्जा कर लेने पर, मूल धृति में उसके अधिकार, हक और हित निर्वाचित हो जाएंगे और अन्तिम चकबन्दी स्कीम में विनिर्दिष्ट उपांतरण, यदि कोई हो, के अधीन रहते हुए, उसे तदधीन आबंटित प्लाटों में उसके वही अधिकार, हक और हित होंगे।

36. **भू–स्वामियों और अभिधारियों के विल्लंगम.**—(1) यदि चकबन्दी स्कीम के अधीन भू–स्वामी की धृति या अभिधारी की अभिधृति किसी पट्टे, बन्धक या अन्य विल्लंगम से युक्त है तो ऐसा पट्टा बन्धक या अन्य विल्लंगम स्कीम के अधीन आबंटित धृति या अभिधृति अथवा उसके ऐसे भाग को अन्तरित और संलग्न किया जाएगा जो चकबन्दी अधिकारी ने धारा 59 के अधीन् बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए स्कीम को बनाते हुए अवधारित किया हो और तदुपरि, यथास्थिति, पट्टेदार, बन्धकदार या विल्लंगमदार का उस भूमि में या उसके विरुद्ध जिससे पट्टा, बन्धक या अन्य विल्लंगम अन्तरित कर दिया गया है, कोई अधिकार नहीं रहेगा।

(2) यदि उस धृति या अभिधृति का बाजारी मूल्य जिसको उप–धारा (1) के अधीन पट्टा, बन्धक या अन्य विल्लंगम अन्तरित किया गया है, मूल धृति के मूल्य से जिससे इसे अन्तरित किया गया है, कम है तो, यथास्थिति, पट्टेदार, बन्धकदार या विल्लंगमदार, धारा 45 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, यथास्थिति, धृति के स्वामी या अभिधारी द्वारा ऐसे प्रतिकर के संदाय का हकदार होगा जो चकबन्दी अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाए।

(3) धारा 32 में किसी बात के होते हुए भी चकबन्दी अधिकारी, यदि आवश्यक हो, कब्जे के हकदार पट्टेदार, बन्धकदार या विल्लंगमदार को, उस धृति या अभिधृति अथवा धृति या अभिधृति के भाग का कब्जा दे सकेगा, जिसको उप–धारा (1) के अधीन उसका पट्टा, बन्धक या अन्य विल्लंगम अन्तरित किया गया है।

37. **निष्क्रांत सम्पत्ति पर धृतियों की चकबन्दी का प्रभाव.**—यदि धृतियों की चकबन्दी स्कीम के अनुसरण में किसी भूमि का, जो निष्क्रांत सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 (1950 का 31) के अर्थ के अन्तर्गत निष्क्रांत सम्पत्ति है, किसी अन्य भूमि से जो निष्क्रांत सम्पत्ति नहीं है, विनिमय किया जाता है या किया गया है, स्कीम के प्रवृत्त होने की तारीख से ऐसी

अन्य भूमि उक्त अधिनियम के अर्थ के अन्तर्गत इस रूप में यथा घोषित निष्क्रांत सम्पत्ति समझी जाएगी और मूल निष्क्रांत भूमि ऐसी तारीख से निष्क्रांत भूमि नहीं रह गई समझी जाएगी।

38. **भूस्वामियों के धृतियों में और अभिधारियों के अभिधृतियों में अधिकारों का अन्तरण.**—हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम 1954 (1954 का 6), हिमाचल प्रदेश टेनेन्सि ऐण्ड लैण्ड रिफोर्मज़ ऐक्ट, 1972 (1974 का 8), पंजाब लैण्ड रेवन्यू ऐक्ट, 1887 (1887 का 17) पंजाब टेनेन्सि ऐक्ट, 1887 (1887 का 16) या अन्य अधिनियमिति में, जो तत्समय हिमाचल प्रदेश राज्य के किसी भाग में प्रवृत्त है, किसी बात के होते हुए भी, भू–स्वामियों के उनकी धृतियों और अभिधारियों के उनकी अभिधृतियों में अधिकार और दावित्व उन्हें प्रभावित करने वाली किसी चकबन्दी स्कीम को प्रभावी बनाने के प्रयोजन से विनिमय द्वारा या अन्यथा अन्तरणीय होंगे और न ही भू–स्वामी, न ही अभिधारी और न ही कोई अन्य व्यक्ति, उक्त प्रयोजन के लिए किए गए अन्तरण पर आक्षेप करने या हस्तक्षेप करने का हकदार होगा।

39. **भूमि के कब्जे की डिक्री का, पुनर्विभाजन पर आबंटित भूमि के विरुद्ध निष्पादित किया जाना.**—सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि, में किसी बात के होते हुए भी, निर्णीत ऋणी के विरुद्ध जिसकी भूमि धृतियों की चकबन्दी स्कीम में सम्मिलित की गई हो, भूमि के कब्जे के लिए डिक्री का निष्पादन, पुनर्विभाजन के पश्चात् और धारा 30 के अधीन उससे सम्बन्धित आदेशों तथा ऐसे पुनर्विभाजन और आदेशों के अनुसरण में उसे आबंटित भूमि के विरुद्ध के सिवाय, नहीं किया जाएगा।

40. **खर्च.**—सहायक चकबन्दी अधिकारी विहित रीति में चकबन्दी के खर्चे का निर्धारण करेगा और चकबन्दी के आदेश से प्रभावित व्यक्तियों के बीच ऐसे खर्चे का वितरण करेगा और इसे उनसे वसूल करेगा।

41. **इस अधिनियम के अधीन संदेय प्रतिकर या खर्च अथवा अन्य रकम की वसूली.**—धारा 23 के अधीन प्रतिकर या धारा 10 के अधीन खर्चे अथवा इस अधिनियम के अधीन वसूलीय अन्य रकम, भू–राजस्व की बकाया के रूप में वसूलीय होगी।

42. **चकबन्दी कार्यवाहियों के दौरान सम्पत्ति का अन्तरण.**—(1) धारा 14 की उप–धारा (1) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशित किए जाने के पश्चात् और चकबन्दी कार्यवाहियों के लम्बित रहने के दौरान अधिभोग का अधिकार रखने वाले किसी भू–स्वामी या अभिधारी को, जिस पर स्कीम आबद्धकर होगी, चकबन्दी अधिकारी की अनुमति के बिना अपनी मूल धृति के किसी भाग या अन्य अभिधृति को अन्तरित करने या उससे अन्यथा संव्यवहार करने की शक्ति नहीं होगी जिससे कि चकबन्दी की स्कीम के अधीन उसमें अधिकार रखने वाले किसी अन्य भू–स्वामी या अभिधारी के अधिकार प्रभावित होते हों।

(2) धारा 14 की उप–धारा (1) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् और चकबन्दी कार्यवाही के लम्बित रहने के दौरान कोई व्यक्ति जिसकी भूमि उपर्युक्त धारा 14 के अधीन अधिसूचित की गई है और जो लम्बित चकबन्दी कार्यवाही की विषय–वस्तु है, ऐसी भूमि पर खड़े किसी पेड़ को नहीं काटेगा या किसी भवन अथवा संरचना या जलमार्ग या जलसरणी अथवा कुएं को भंजित नहीं करेगा या ऐसे पेड़ अथवा ऐसे भवन, संरचना, जलमार्ग, जलसरणी या कुएं की सामग्री को नहीं हटाएगा या विनियोजित नहीं करेगा या कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जो ऐसी भूमि या पेड़, भवन, संरचना, जलमार्ग, जल–सरणी या कुएं के लिए अहितकर हो या जिससे उनकी उपयोगिता या बाजारी मूल्य कम हो।

स्प्टीकरण.–उपधारा (2) में वर्णित "व्यक्ति" शब्द के अन्तर्गत है, उसके परिवार के सदस्य, सेवक या एजेन्ट अथवा कोई व्यक्ति जो उप–धारा (2) में वर्णित कार्य ऐसे व्यक्ति के उकसाने या उसकी अभिव्यक्त या विवक्षित वांछा पर करता है।

(3) जो कोई भी उप–धारा (2) के उपबन्धों का उल्लंघन करता है ऐसी रकम के संदाय का दायी होगा जो ऐसे उल्लंघन के कारित हानि या नुकसान की रकम के दुगुने तक की हो सकेगी।

(4) हानि या नुकसान की मात्रा का निर्धारण बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) द्वारा किया जाएगा और इस प्रकार किया गया निर्धारण अन्तिम होगा।

(5) यदि निर्धारित रकम बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) द्वारा नियत अवधि के भीतर संदत नहीं की जाती है तो वह भू–राजस्व की बकाया के रूप में वसूलीय हो जाएगी जैसा कि धारा 41 में उपबन्धित है।

43. **चकबन्दी कार्यवाहियों के चालू रहने के दौरान विभाजन कार्यवाहियों का निलम्बन.**–धारा 14 की उप–धारा (1) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् चकबन्दी स्कीम से प्रभावित होने वाली किसी सम्पदा या किसी सम्पदा के उप–खण्ड के बारे में, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का 6) या पंजाब लैण्ड रेवन्यू ऐक्ट, 1887 (1887 का 17) के अध्याय–IX के अधीन कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की जाएगी और ऐसी लम्बित कार्यवाहियां, चकबन्दी कार्यवाहियों के लम्बित रहने के दौरान, प्रास्थगन में रहेंगी।

44. **अन्तरण के लिए कोई लिखत आवश्यक नहीं.**–तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी–

(क) धृतियों की चकबन्दी की किसी स्कीम को कार्यान्वित करने में अन्तर्वलित किसी अन्तरण को प्रभावी बनाने के लिए किसी लिखित की आवश्यकता नहीं होगी; और

(ख) यदि कोई लिखत निष्पादित की जाती है, तो उसका रजिस्ट्रीकरण अपेक्षित नहीं होगा।

45. **विवाद की दशा में प्रतिकर या शुद्ध मूल्य का प्रभाजन.**—(1) इस अधिनियम के अधीन संदेय प्रतिकर की रकम, जहां तक सम्भव हो, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) की धारा 23 की उप–धारा (1) के उपबन्धों के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

(2) जहां निम्नलिखित के प्रभाजन के सम्बन्ध में विवाद हो—

(क) धारा 23 की उप–धारा (2) या धारा 26 की उप–धारा (4) के अधीन अवधारित प्रतिकर की रकम ;

(ख) धारा 32 की उप–धारा (3) के अधीन वसूल किया गया शुद्ध मूल्य;

(ग) धारा 36 की उप–धारा (2) के अधीन अवधारित प्रतिकर की कुल रकम;

वहां चकबन्दी अधिकारी विवाद को विनिश्चय के लिए सिविल न्यायालय को निदेशित करेगा और, यथास्थिति, प्रतिकर की रकम या शुद्ध मूल्य न्यायालय में जमा करवाएगा और तदुपरि भूमि–अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) को धारा 33, 53 और 54 के उपबन्ध, जहां तक हो सके, लागू होंगे।

46. **स्कीम को परिवर्तित या प्रतिसंहृत करने की शक्ति.**—धृतियों की चकबन्दी के लिए इस अधिनियम के अधीन पुष्ट स्कीम किसी भी समय, इसे पुष्ट करने वाले प्राधिकारी द्वारा, राज्य सरकार द्वारा उसके सम्बन्ध में किए गए किसी आदेश के अधीन रहते हुए, परिवर्तित या प्रतिसंहृत की जा सकेगी और इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार पश्चात्वर्ती स्कीम तैयार, प्रकाशित और पुष्ट की जा सकेगी।

अध्याय–4

चकबन्दी अधिकारियों की अन्य शक्तियां

47. **सर्वेक्षण और सीमांकन प्रयोजन के लिए भूमि पर प्रवेश करने की अधिकारियों की शक्तियां.**—चकबन्दी अधिकारी और उसके आदेशों के अधीन कार्य करने वाला कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन अपने किसी कर्त्तव्य के निर्वहन में भूमि पर प्रवेश और सर्वेक्षण कर सकेगा और उस पर सर्वेक्षण चिन्ह लगा सकेगा और उसकी सीमाओं का सीमांकन कर सकेगा और उस कर्त्तव्य के उचित पालन के लिए आवश्यक अन्य सभी कार्य कर सकेगा।

48. **सर्वेक्षण चिह्नों को नष्ट करने, क्षति पहुंचाने या हटाने के लिए शास्ति.**—यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर विधिपूर्वक लगाए गए सर्वेक्षण चिन्ह को नष्ट करेगा या क्षति पहुंचाएगा या विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना हटाएगा तो, चकबन्दी अधिकारी उसे इस प्रकार नष्ट किए, क्षति पहुंचाए या हटाए गए प्रत्येक चिन्ह के लिए पचास रुपए से अनधिक ऐसे प्रतिकर के संदाय का आदेश दे सकेगा जो उस अधिकारी की राय में उसे पुनःस्थापित

करने के व्यय को चुकाने और उस व्यक्ति को पुरस्कृत करने के लिए, जो नष्ट, क्षति या हटाए जाने की सूचना देगा, आवश्यक हो।

49. **सर्वेक्षण चिह्नों को नष्ट करने, हटाने या क्षति पहुंचाने की रिपोर्ट.**—सम्पदा का प्रत्येक ग्राम अधिकारी, सम्पदा में विधिपूर्वक लगाए गए किसी सर्वेक्षण चिन्ह को नष्ट करने, हटाए जाने या की गई क्षति के सम्बन्ध में चकबन्दी अधिकारी की सूचना देने के लिए वैध रूप में आबद्ध होगा।

50. **कुछ मामलों में साक्षियों को हाजिर कराने की शक्ति और सिविल प्रक्रिया संहिता का लागू होना.**—(1) बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी), चकबन्दी अधिकारी और सहायक चकबन्दी अधिकारी को ऐसी सभी शक्तियां और अधिकार तथा विशेषाधिकार प्राप्त होंगे जो निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में किसी कार्रवाई के अवसर पर सिविल न्यायालय में निहित हैं—

(क) साक्षियों को हाजिर करवाना और उनकी शपथ, प्रतिज्ञान या अन्यथा परीक्षा करना और अनुरोध पर विदेश में साक्षी की परीक्षा करने के लिए आयोग निकालना;

(ख) किसी को किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए बाध्य करना;

(ग) अवमानना के दोषी व्यक्तियों को दण्ड देना और ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित समन सिविल न्यायालय द्वारा साक्षी को हाजिर करवाने और दस्तावेज को पेश करने को बाध्य करने के लिए निकाली जाने वाली किसी प्ररूपिक प्रक्रिया से प्रतिस्थापित किया जा सकेगा और उसके समतुल्य होगा।

(2) किन्हीं शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी), चकबन्दी अधिकारी या सहायक चकबन्दी अधिकारी, लिखित आदेश द्वारा किसी व्यक्ति से ऐसे दस्तावेज, पत्र और रजिस्टर पेश करने या ऐसी सूचना देने की अपेक्षा कर सकेगा जैसी, यथास्थिति, बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी), चकबन्दी अधिकारी या सहायक चकबन्दी अधिकारी इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों के उचित प्रयोग या अपने कर्त्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए आवश्यक समझे।

(3) प्रत्येक व्यक्ति जिससे इस धारा के अधीन किसी दस्तावेज, पत्र या रजिस्टर को पेश करने या सूचना देने के लिए अपेक्षा की जाए, भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 175 और धारा 176 के अर्थ के अन्तर्गत ऐसा करने के लिए वैध रूप में आबद्ध समझा जाएगा।

(4) बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी), चकबन्दी अधिकारी या सहायक चकबन्दी अधिकारी के समक्ष कार्यवाही भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 198 और धारा 228 के अर्थ के अन्तर्गत और धारा 196 के प्रयोजन के लिए न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी।

(5) जब तक कि इस अधिनियम के अधीन या द्वारा अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबन्धित न हो, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन सभी कार्यवाहियों को जिनके अन्तर्गत अपील और आवेदन भी हैं, लागू होंगे।

(6) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को जिनको भूमि आबंटित की गई है, भूमि का कब्जा परिदत्त करने के लिए, सहायक चकबन्दी अधिकारी को अवमानना, प्रतिरोध और तत्सदृश के सम्बन्ध में सभी शक्तियां होंगी जो सम्पत्ति का कब्जा परिदत्त करने के लिए डिक्री के निष्पादन में सिविल न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य हैं।

अध्याय–5

प्रकीर्ण

51. **अधिकारी और प्राधिकारी.**–(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित नियुक्त कर सकेगी–

(1) चकबन्दी निदेशक;
(2) बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी);
(3) चकबन्दी अधिकारी;
(4) सहायक चकबन्दी अधिकारी; और
(5) ऐसे अन्य व्यक्ति जैसे बह उचित समझे।

(2) चकबन्दी निदेशक ऐसे कर्त्तव्यों का पालन और बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी), चकबन्दी अधिकारी और सहायक चकबन्दी अधिकारी के कृत्यों पर पर्यवेक्षण और अधीक्षण की ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जैसी विहित की जाएं।

(3) बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी), चकबन्दी अधिकारी और सहायक चकबन्दी अधिकारी इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन या द्वारा उन्हें प्रदत्त या अतिरोपित शक्तियों का प्रयोग और कर्त्तव्यों का पालन करेगा।

52. **शक्तियों का प्रत्यायोजन.**–(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम द्वारा इसे प्रदत्त किन्हीं शक्तियों का, ऐसी शर्तों और निबन्धनों के अधीन रहते हुए प्रयोग करने के लिए, जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं किसी अधिकारी या प्राधिकारी को प्रत्यायोजन कर सकेगी।

(2) चकबन्दी निदेशक, चकबन्दी अधिकारी या बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी), राज्य सरकार की मंजूरी से इस अधिनियम के अधीन अपनी किन्हीं शक्तियों या कृत्यों को, राज्य सरकार की सेवा में से किसी व्यक्ति को प्रत्यायोजित कर सकेगा।

53. **मध्यस्थ.**—(1) जहां इस अधिनियम के अधीन या द्वारा कोई मामला अवधारण के लिए मध्यस्थ को निदेशित किया जाना निर्दिष्ट है, वहां राज्य सरकार द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति, उन सिविल न्यायिक अधिकारियों में से की जाएगी जिनकी अवस्थिति तीन वर्ष से कम न हो और मामला अन्य सारी दृष्टि से माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 (1940 का 10) के उपबन्धों के अनुसार अवधारित किया जाएगा।

(2) उप–धारा (1) के अधीन मध्यस्थ की नियुक्ति या तो साधारणतया या किसी विशेष मामले या मामलों की श्रेणी के सम्बन्ध में या किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र या क्षेत्रों के सम्बन्ध में की जा सकेगी।

54. **राज्य सरकार की कार्यवाहियों को मंगाने की शक्ति.**—राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी द्वारा पारित आदेश, तैयार की गई या पुष्ट की गई स्कीम अथवा किए गए पुनर्विभाजन की वैधता या औचित्य के बारे में अपने समाधान के प्रयोजन के लिए किसी भी समय ऐसे अधिकारी के समक्ष लम्बित या उस द्वारा निपटाये गए किसी मामले के अभिलेख को मंगवा सकेगी और परीक्षण कर सकेगी और उस संदर्भ में ऐसे आदेश पारित कर सकेगी जैसे वह उचित समझेः

परन्तु आदेश, स्कीम या पुनर्विभाजन में हितबद्ध व्यक्तियों को हाजिर होने का नोटिस और सुनवाई का अवसर दिए बिना, फेरफार या उसे उलटा नहीं किया जाएगा, सिवाय उन मामलों के, जहां राज्य सरकार का समाधान हो जाता है कि कार्यवाहियां विधि विरुद्ध प्रतिफल से दूषित की गई हैं।

55. **अपील और पुनरीक्षण.**—इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन पारित किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील और पुनर्विलोकन, निर्देश या पुनरीक्षण के लिए कोई आवेदन नहीं होगा, सिवाय उसके जैसा इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उपबन्धित है।

56. **लेखन गलतियों का सुधार.**—इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी द्वारा बनाई गई किसी स्कीम में या पारित किसी आदेश में या किसी आकस्मिक भूल या लोप से उद्भूत कोई लेखन या गणित सम्बन्धी गलती सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से या पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर, किसी भी समय सुधारी जा सकेगी।

57. **इस अधिनियम के अधीन उद्भूत मामलों के सम्बन्ध में, सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन.**—कोई भी व्यक्ति, चकबन्दी कार्यवाहियों से उद्भूत किसी विषय के सम्बन्ध में या किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में जिसके बारे में इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन वाद या आवेदन किया जा सकता है, कोई बाद या अन्य कार्यवाहियां, किसी सिविल न्यायालय में संस्थित नहीं करेगा।

58. **इस अधिनियम के अधीन किए गए कार्यों के लिए लोक सेवक क्षतिपूरित.**— इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त किन्हीं शक्तियों या विवेकाधिकार के प्रयोग के सम्बन्ध में अथवा उसके उपबन्धों या तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन सम्यक् रूप से नियुक्त या प्राधिकृत लोक सेवक या व्यक्ति के विरुद्ध न होगी।

59. **नियम बनाने की शक्ति.**—(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगी।

(2) पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबन्ध कर सकेंगे—

(क) धारा 14 की उप–धारा (2), धारा 28 की उप–धारा (1) और (2), धारा 29 की उप–धारा (3) और धारा 30 की उप–धारा (1) के अधीन प्रकाशन की रीति;

(ख) धारा 16 के अधीन चकबन्दी के सम्बन्ध में घोषणा के रद्दकरण और उसके परिणाम से सम्बन्धित विषय;

(ग) धारा 17 की उप–धारा (1) के अधीन राजस्व अभिलेख के परीक्षण से सम्बन्धित प्रक्रिया और कार्यवाहियां;

(घ) धारा 22 के अधीन स्कीम तैयार करने में पालन किए जाने वाला सिद्धान्त और प्रक्रिया और उन अभिधारियों का वर्ग जिनकी अभिधृतियों की चकबन्दी की जानी है और स्कीम के सम्बन्ध में समिति की नियुक्ति;

(ङ) वह रीति जिसमें धारा 27 के अधीन क्षेत्र आरक्षित किया जाएगा, जिसमें इसके विषय में संव्यवहार किया जाएगा और वह भी जिसमें ग्राम की आबादी स्वत्वधारियों और अस्वत्वधारियों को प्रतिकर के संदाय पर या अन्यथा दी जाएगी;

(च) कब्जा लेने की प्रक्रिया;

(छ) वह रीति जिसमें धारा 32 की उप–धारा (3) के अधीन किसी व्यक्ति से वसूलीय प्रतिकर, उस द्वारा जमा किया जाएगा;

(ज) धारा 36 के अधीन पट्टा, बन्धक या अन्य विल्लंगम के अन्तरण के सम्बन्ध में चकबन्दी अधिकारी द्वारा मार्गदर्शन;

(झ) वह रीति जिसमें प्रत्येक पुनर्गठित धृति और अभिधृति का क्षेत्र और निर्धारण जल रेट सहित, यदि कोई हो, अवधारित किया जाएगा;

(ञ) मध्यस्थ की नियुक्ति और उसे निर्देशन की प्रक्रिया;

(ट) इस अधिनियम के अधीन नोटिस की तामील या दस्तावेज पेश करने से सम्बन्धित विषय;

(ठ) ग्राम में किसी घोषणा या अधिसूचना के प्रकाशन की रीति;

(ड) उन मामलों में जिनके लिए उसमें विशेष उपबन्ध नहीं किया है, इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों में, जिसके अन्तर्गत आवेदन आक्षेपों का दायर किया जाना और निपटारा और अपीलें भी हैं, पालन की जाने वाली प्रक्रिया;

(ढ) इस अधिनियम के अधीन अधिकारिता रखने वाले किसी अधिकारी या प्राधिकारी के कर्त्तव्यों और ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया;

(ण) वह समय जिसके भीतर, इस अधिनियम के अधीन उन मामलों में जिनके लिए इसमें इस निमित्त विशेष उपबन्ध नहीं किया गया है, आवेदन और अपीलें प्रस्तुत की जा सकेंगी;

(त) इस अधिनियम के अधीन आवेदनों, अपीलों और कार्यवाहियों को भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 36) का लागू होना;

(थ) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी, अधिकारी या व्यक्ति को प्रदत्त शक्तियों का प्रत्यायोजन;

(द) एक प्राधिकारी या अधिकारी से अन्य को कार्यवाहियों का अन्तरण;

(ध) वे सीमाएं जिनके भीतर प्रतिकर द्वारा या अन्यथा आबंटन में भू–धृतिधारक के क्षेत्र को समायोजित किया जा सकेगा;

(न) अव्यस्कों के लिए वादार्थ संरक्षकों की नियुक्ति,

(प) इस अधिनियम के अधीन सभी कार्यवाहियों में साधारणतयः चकबन्दी अधिकारी और अन्य अधिकारियों और व्यक्तियों के मार्गदर्शन के लिए; और

(फ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या विहित किया जाए।

(3) इस धारा के अधीन बनाए गए नियम पूर्व प्रकाशन की शर्त के अध्यधीन होंगे।

(4) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कम से कम कुल चौदह दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के जिसमें यह इस प्रकार रखा जाता है या पूर्वोक्त सत्रों के अवसान के पूर्व विधान सभा उस नियम में कोई परिवर्तन करती है तो तत्पश्चात् वह नियम, ऐसे परिवर्तित रूप में प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व विधान सभा विनिश्चय करती है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

60. **निरसन और व्यावृत्तियां.**—हिमाचल प्रदेश कृषि क्षेत्र एकत्रीकरण अधिनियम, 1953 (1954 का 10) और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए राज्य क्षेत्र में यथा लागू, दि ईस्ट पंजाब होल्डिन्गज (कन्सोलिडेशन ऐन्ड प्रिवैन्शन आफ फ्रैंगमैन्टेशन) ऐक्ट, 1948 (1948 का 50) एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं, किन्तु ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अधिनियमों के अधीन या द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया कोई आदेश, की गई कोई बात या कार्रवाई अथवा प्रारम्भ की गई कोई कार्यवाही, इस अधिनियम के अधीन या द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया, जारी किया गया, की गई या प्रारम्भ की गई समझी जाएगी।